

रिपोर्ट पटवारी व भू०अ०नि०

मुआवजेक आवेदन पर शेर शेर काल्डर अन्वेषिकाम की वारा 164 अनुसार खानेदान रिकॉर्ड गैर-खानेदान का हिस्सा हूक किये जाने की आशियंषा की जाती है।

रिपोर्ट पटवारी उचित है।

12/06/2022
20.6.2022

20/06/2022
अलवर जिला-अलवर

No. 9
20/6/2022

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी जांच भू-अ नि० अनुसार नियमानुसार जिम्मन दुरस्त किया जाना उचित है मूल ही प्रकरण जिम्मन दुरस्ती नियम (164) के अनुसार नियमानुसार कार्यावाही एवं आदेशार्थ प्रस्तावित है।

तहसीलदार (भू०अ०)
तहसील अलवर जिला-अलवर

आदेश

तहसीलदार अलवर की अनुमति के आधार पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 164 अनुसार खानेदान रिकॉर्ड गैर-खानेदान का हिस्सा हूक किये के आदेश दिभे जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी

